राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1845/2013/भीलवाड़ा

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–B, भीलवाड़ा ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सैफरोन सूटिंग्स प्रा0लि0,
भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल वोलिया, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/01/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 13/वेट/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–B, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत आरोपित मांग राशियों को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आलोच्य अवधि की तृतीय तिमाही के वैट–10 के साथ वैट 07 प्रस्तुत न करने के कारण रूपये 34,497/– की मांग कायम की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन व अध्ययन किया गया। रेकार्ड की जांच से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने संशोधित आदेश दिनांक 25.04.2013 में उल्लेखित किया कि वर्ष 2006–07 का तृतीय विवरण पत्र के साथ संलग्न वैट 07 का समायोजन नहीं देने का पर्याप्त कारणों का उल्लेख नहीं किया। व्यवसायी को तृतीय तिमाही के रिटर्न के साथ संलग्न वेट–07 में चाही गई आई.टी.सी. का समायोजन नहीं दिया गया है। चूंकि इस प्रकरण के तथ्यों की जांच हेतु उपयुक्त अपील भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 01.07.2013 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य